न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./74/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट्स
सदराम पुत्र रिडमल, जाति विश्नोई, निवासी विश्नोईयों का वास, बुल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।	1. केसा पुत्र रामु 2. मुली पत्नी केसा, निवासी विश्नोईयों का वास, बुल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। **रेस्पों./विप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4–** 3. मंगलाराम पुत्र लाखा 4. रणधीर पुत्र रिडमल 5. समदादेवी पत्नी चुतराराम, निवासी विश्नोईयों का वास, बुल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 6. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा धोरीमन्ना 7. शाखा प्रबंधक, सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा धोरीमन्ना। 8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148/2024 बउनवान केसा वगैरह बनाम मंगलाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पों. संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–31.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 2 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा विश्नोईयों का वास, बुल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खसरा संख्यां 329/4 रकबा 3.1080 हेक्टेयर आयी हुई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण /रेस्पों. के खातेदारी का खसरा संख्या 326 रकबा 6.9444 हेक्टैयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध है। अतः बहस सुन ली जाये। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 2 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा विश्नोईयों का वास, बुल, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 329/4 रकबा 3.1080 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण /रेस्पों. के खातेदारी का खसरा संख्या 326 रकबा 6.9444 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है, जिस हेतु आवागमन के लिए रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार कर प्रस्तुत की गई थी, जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में अपीलांट को कोई नोटिस नहीं भेजा गया ना ही मौका पर अपीलांट उपस्थिति थे। जिस पर अपीलांट को बिना कोई सूचना या नोटिस प्रेषित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई तामील कुनिंदा अपीलांट का नोटिस लेकर घर तक आया तथा न ही कोई नोटिस अपीलांट को जरिये डाक प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट/विप्रार्थीगण को तामील हेतु किसी भी तरह से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ उक्तानुसार अपीलांट को हस्तगत प्रकरण की तामील हेतु कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने के बाद नोटिस तामील करवाये जाना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को ना तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और ना ही कोई तामील करवायी गई। बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आर. आई. द्वारा बिना मौका पर जाये ही केवल कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि हस्तगत मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण के दबाव में आकर एकतरफा तैयार की गई है। जो विधि के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। प्रस्तावित रास्ता के स्थान पर अपीलांट की बाड़ आदि बने हुए है। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रश्नगत एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पों. संख्या 01 से 02 द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय में अपना मूल आवेदन पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/विप्रार्थीगण को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148/2024 बउनवान केसा वगैरह बनाम मंगलाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्णय प्रति प्रेषित की जावें।

31/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर